न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

रामपति वेवा रामभरोसी जाति धोबी आयु 65 साल निवासी महाविद्यालय के पीछे करौली तहसील व जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार महोदय तहसील करौली
2. अंगद पुत्र भरोसी आयु 65 साल
3. बल्ला पुत्र भरोसी आयु 48 साल
4. प्रकाश पुत्र बल्ला आयु 50 साल
5. गोपाल पुत्र बल्ला आयु 52 साल
6. प्रहलाद पुत्र भरोसी आयु 50 साल

समस्त जातियान चतुर्वेदी निवासीयान गुनेसरी तहसील व जिला करौली –रेस्पोण्डेण्टस

अपील व खिलाफ आदेश कार्यालय तहसीलदार करौली प्रकरण संख्या 1/18 निर्णय दिनांक 15.03.2019 उनवानी रामपति वेवा अंगद वगै0

निर्णय दिनांक 22.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि न्यायालय तहसीलदार करौली में दायर मुकदमा नं. 01/2018 अंतर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 उनवानी रामपति बनाम अंगद में तहसीलदार करौली द्वारा प्रार्थना पत्र 10 सी.पी. सी. को दिनांक 15.03.2019 को स्वीकार कर प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि मातहत अदालत ने उक्त निर्णय वेग व निराधार तथ्यों के आधार पर पारित किया है जिस पर तहसीलदार करौली द्वारा बिना मनन किये विधि के सिद्धान्तों का परिशीलन किये बिना आदेश पारित किया है जो काबिले मंसूख है। अपीलाण्ट प्रार्थीया की स्वयं की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 148/5 रकबा 15 बीघा वाके हार आनंदगढ पटवार हल्का सायपुर तहसील करौली में स्थित है, जिसे प्रार्थिया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया है। अपीलाण्ट की उक्त भूमि पर रेस्पोण्डेण्ट 2 लगायत 6 ने अनाधिकार कब्जा कर लिया है और उत्तर से दक्षिण दिशाा की ओर करीब 800 फीट जे.सी.बी. से डोल बनाकर उसमें बाजरा एवं तिली की काश्त कर दी जिसे देखने के लिए दिनांक 22.07.2018 को मैं अपीलाण्ट गई तो रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 लगायत 6 ने गाली गलौच कर भगा दिया। मैं अनुसूचित जाति की महिला हूँ और मेरी भूमि पर स्वर्ण जाति के चतुर्वेदियों ने अनाधिकार कब्जा कर लिया है जिसके कारण मेरे परिवारजन के भूखे मरने की नौबत आ जावेगी। मैं विधवा हूँ। मेरे अलावा मेरी भूमि की देख–रेख करने वाला कोई नहीं है। इसलिये मेरी खातेदारी भूमि को रेस्पोण्डेण्ट नं. 2 ता 6 से मुक्त कराने हेतु मैंने दिनांक 23.07.2018 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार करौली के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया एवं बतौर साक्ष्य मेरे पुत्र

जिला कलक्टर
करौली

सुरेश व भजन के शपथ पत्र भी मैंने पेश किये। इसके बाद तहसीलदार करौली ने दिनांक 21.12.2018 को हल्का पटवारी आनंदगढ को मौके पर भेजकर मौका रिपोर्ट तलब की जिसमें हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि उक्त खसरा नं. 148/5 के कुछ हिस्से पर पूर्व में अंगद, बल्ला, गोपाल, प्रकाश, रामजीलाल जातियान चौबे ने कब्जा कर लिया है और खरीफ की फसल काश्त की गयी है एवं उक्त खातेदारी रामपति पत्नि रामभरोसी के नाम दर्ज है। इतनी साक्ष्य पेश होने के बावजूद भी तहसीलदार करौली द्वारा उक्त निर्णय वेग व निराधार तथ्यों के आधार पर पारित किया है जो दिनांक 15.03.2019 का आदेश निरस्त फरमाया जावें। अपीलाण्ट बुजुर्ग एवं विधवा महिला है और मुख्य धन्धा कृषि है और कृषि भूमि पर रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 ता 6 ने जबरन कब्जा कर लिया है। अपीलाण्ट उन्हें बेदखल करने के लिए इस्तदुआ करती है। मातहत अदालत ने उक्त दस्तावेजों का परिशीलन नहीं किया एवं राजस्व न्यायालय की सुरेश बनाम अंगद के नाम से निगरानी का सहारा लेते हुए उक्त आदेश पारित किया है जबकि सुरेश उक्त विवादित नम्बर 148/5 रकबा 15 बीघा में खातेदार व काश्तकार नहीं है। इसलिए राजस्व न्यायालय की नकल उक्त प्रार्थना पत्र पर चस्पा नहीं होती लेकिन मातहत अदालत ने एकतरफा न्याय करते हुये उक्त आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के पुत्र सुरेश द्वारा पूर्व में विवादित भूमि से प्रत्यर्थीगण की बेदखली बाबत् धारा 183(बी) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे सुरेश के खातेदार नहीं होने के कारण मैंन्टेनेएबल नहीं माना गया था। अपील पर सीमा अधिनियम की धाराओं के तहत अन्दर मियाद है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

एडवोकेट प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि प्रकरण में अंकित भूमि से संबंधित निगरानी राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन है जिसमें मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया हुआ है। अपीलाण्ट के पुत्र सुरेश द्वारा पूर्व में विवादित भूमि से प्रत्यर्थीगण की बेदखली बाबत् धारा 183(बी) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें अपीलाण्ट रामपति के बयान भी लिये गये थे। इसलिए अपीलाण्ट रामपति भी उक्त प्रकरण में शामिल है। उक्त निगरानी के राजस्व मण्डल में विचाराधीन होने के कारण राजस्व मण्डल से प्रकरण का निस्तारण होने तक तहसीलदार करौली द्वारा आदेश दिनांक 15.03.2019 द्वारा 10 सी. पी.सी. के तहत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गई है, अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है। यह अधिसूचित है कि 10 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के विरुद्ध केवल निगरानी ही दायर की जा सकती है, अपील नहीं की जा सकती है। 10 सी.पी.सी. के आदेश का पुनरीक्षण ही किया जा सकता है, अपील नहीं की जा सकती है। अतः अपील को प्रस्तुत करने का कोई आधार नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। विवादित भूमि आराजी खसरा नं. 148/5 बाके ग्राम आनंदगढ़ अपीलार्थी रामपति की जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रयशुदा भूमि है जिस पर प्रत्यर्थीगण 2 ता 6 ने 800 फुट लंबी मिट्टी की दीवार बनाकर अनाधिकार कब्जा कर लिया है। विवादित भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि है जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में पक्षकार नहीं है। खातेदार कृषक की भूमि पर अन्य पक्षकार को कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही राजस्व मण्डल से जारी स्थगन की वर्तमान स्थिति से भी प्रत्यर्थीगण द्वारा अवगत नहीं कराया गया है। तहसीलदार करौली द्वारा पटवारी हल्का से तलब की गई रिपोर्ट अनुसार भी यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी की है जिस पर प्रत्यर्थीगण 2 ता 6 द्वारा

जिला कलक्टर
करौली

अनाधिकार कब्जा किया हुआ है। ऐसी स्थिति में बेदखली की कार्यवाही को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम अपील अपीलाण्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2019 अपास्त किया जाता है। तहसीलदार करौली को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय मैं लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली